

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

इन्द्रावती भवन, ब्लाक 4, तृतीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

कमांक 180 / त.शा.-2 / F-116 / 2024-25 / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2024 अटल नगर, दिनांक 30.09.24

// आदेश //

शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल (पश्चिम क्षेत्र), मुंबई के निर्देशानुसार अप्रेंटिस एक्ट 1961 (यथा संशोधित) की धारा-8 (3ए) के तहत रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उपलब्ध मेरिट सूची से निम्नलिखित प्रशिक्षु को 01 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक छात्रवृत्ति की दर पर नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालय में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु चयन कर आदेशित किया जाता है :-

क्रं.	प्रशिक्षु का नाम	मुम्बई मुख्यालय से प्राप्त इनरॉलमेंट नंबर	श्रेणी	चयनित श्रेणी	डिग्री / डिप्लोमा	कार्यालय का नाम
सिविल इंजीनियरिंग						
1.	श्री गौरव रजक	ACTBS4996653	अ.पि.वर्ग	मुक्त-अनारक्षित	डिग्री	खंड बिलासपुर
2.	कु. प्रिया गोयन	ACTSU5022870	अ.पि.वर्ग	मुक्त-अनारक्षित	डिग्री	खंड अंबिकापुर
3.	श्री आयुष अग्रहरि	ACTBS5028499	अनारक्षित	मुक्त-अनारक्षित	डिग्री	खंड गौरैला- पेन्द्रा मरवाही
4.	श्री सूरज सिंह	ACTJC4687092	अ.ज.जा.	मुक्त-अनारक्षित	डिग्री	खंड जांजगीर चांपा
5.	श्री सिद्धार्थ एस. श्रीवास्तव	ACTSU5022724	अनारक्षित	मुक्त-अनारक्षित	डिग्री	खंड बलरामपुर
6.	कु. सुजाता श्रीवास्तव	ACTSU4911511	अनारक्षित	मुक्त-अनारक्षित	डिग्री	खंड सूरजपुर
7.	श्री स्वराज पदमवार	ACTDH4516203	अ.पि.वर्ग	मुक्त-अनारक्षित	डिग्री	खंड धमतरी
8.	श्री मयंक सोनी	ACTDU5078335	अ.पि.वर्ग	मुक्त-अनारक्षित	डिग्री	खंड कांकेर
9.	श्री प्रदीप कुमार पटेल	ACTRP5026349	अ.पि.वर्ग	मुक्त-अ.पि.वर्ग	डिग्री	खंड नारायणपुर
10.	कु. पुजा	ACTBM5030369	अ.पि.वर्ग	मुक्त-अ.पि.वर्ग	डिग्री	खंड खैरागढ़- छुईखदान-गंडई
11.	श्री यशवंत कुमार	ACTDH5039729	अ.पि.वर्ग	मुक्त-अ.पि.वर्ग	डिग्री	खंड बीजापुर
12.	श्री विवेक खरे	ACTKR5083197	अ.जा.	मुक्त-अ.जा.	डिग्री	खंड रायगढ़
13.	कु. उमेश्वरी	ACTDH4544601	अ.जा.	मुक्त-अ.जा.	डिग्री	खंड गरियाबंद
14.	श्री मनोहर मानदेव	ACTBM5029361	अ.जा.	मुक्त-अ.जा.	डिग्री	खंड बेमेतरा
15.	श्री भद्रपाल सिंह मरकाम	ACTMG5047378	अ.ज.जा.	मुक्त-अ.ज.जा.	डिग्री	खंड मुंगेली
16.	श्री मृदुल टेकाम	ACTBA5098977	अ.ज.जा.	मुक्त-अ.ज.जा.	डिग्री	खंड दंतेवाड़ा
17.	कु. हिमानी पोटाई	ACTBA5099682	अ.ज.जा.	मुक्त-अ.ज.जा.	डिग्री	खंड जगदलपुर
18.	श्री चम्मन लाल	ACTBL4683913	अ.ज.जा.	मुक्त-अ.ज.जा.	डिग्री	खंड सुकमा
19.	कु. शिखा यादव	ACTBZ5064504	अ.पि.वर्ग	महिला हेतु आरक्षित-अनारक्षित	डिग्री	खंड बलौदाबाजार
20.	कु. अपर्णा बैगा	ACTDU4656013	अनारक्षित	महिला हेतु आरक्षित-अनारक्षित	डिग्री	खंड मोहला- मानपुर चौकी
21.	कु. विनीता	ACTRN5067041	अ.जा.	महिला हेतु आरक्षित-अनारक्षित	डिग्री	खंड राजनांदगांव
22.	कु. लभली बाघव	ACTJS5073428	अ.पि.वर्ग	महिला हेतु आरक्षित-अनारक्षित	डिग्री	खंड जशपुर
23.	कु. सिमरन जांगड़े	ACTRP5044132	अ.जा.	महिला हेतु आरक्षित-अनारक्षित	डिग्री	खंड महासमुंद
24.	कु. चांदनी पटेल	ACTKB4830390	अ.पि.वर्ग	महिला हेतु आरक्षित-अनारक्षित	डिग्री	खंड कोरबा
25.	श्री सिमोन भतपहरी	ACTRP5253931	अ.जा.	मुक्त-अनारक्षित	डिप्लोमा	खंड रायपुर
26.	कु. चारु कोरी	ACTKJ0000004	अ.जा.	मुक्त-अनारक्षित	डिप्लोमा	खंड कोरिया

P.T.O.


27.	कु. निशा	ACTDU5050584	अनारक्षित	मुक्त-अनारक्षित	डिप्लोमा	खंड दुर्ग
28.	कु. जितेश्वरी	ACTDL5070112	अ.पि.वर्ग	मुक्त-अ.पि.वर्ग	डिप्लोमा	खंड बालोद
29.	श्री सूर्या सिंह	ACTSU5098584	अ.ज.जा.	मुक्त-अ.ज.जा.	डिप्लोमा	खंड कबीरधाम
30.	श्री प्रकाश ठाकुर	ACTRP5025550	अ.ज.जा.	मुक्त-अ.ज.जा.	डिप्लोमा	खंड कोण्डागांव
31.	कु. साई प्रिया	ACTDH5089529	अनारक्षित	महिला हेतु आरक्षित-अनारक्षित	डिप्लोमा	खंड शक्ति
32.	कु. रेशमा यादव	ACTRN5090868	अ.पि.वर्ग	महिला हेतु आरक्षित-अनारक्षित	डिप्लोमा	खंड सारंगढ़
मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट						
33.	कु. जया सिंह	ACTRP5022013	अनारक्षित	मुक्त-अनारक्षित	डिप्लोमा	कार्यालय प्रमुख अभियंता
34.	कु. नेहा अम्बिलकर	ACTRN5030167	अ.पि.वर्ग	मुक्त-अ.पि.वर्ग	डिप्लोमा	मुख्य अभियंता रायपुर
35.	कु. हिमांशी	ACTRN5030073	अ.पि.वर्ग	मुक्त-अ.पि.वर्ग	डिप्लोमा	अधीक्षण अभियंता रायपुर
36.	कु. योगिता नायक	ACTDU5027030	अ.ज.जा.	मुक्त-अ.ज.जा.	डिप्लोमा	अधीक्षण अभियंता दुर्ग
37.	कु. पुनम देवांगन	ACTRP4746443	अ.पि.वर्ग	मुक्त-अ.पि.वर्ग	डिप्लोमा	कार्यालय प्रमुख अभियंता

उपरोक्त चयन निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है:-

1. आदेश दिनांक से 10 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय में अपनी उपस्थिति देते हुए प्रशिक्षण प्रारंभ करना होगा। निर्धारित समयावधि में उपस्थिति नहीं देने पर चयन निरस्त किया जावेगा।
2. प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 यथा संशोधित में उल्लेखित समस्त शर्तें लागू होंगी।
3. उपस्थिति उपरांत प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षु मण्डल द्वारा अनुबंध सृजन (Contract creation) हेतु मांगी जाने वाली सहमति दिया जाना आवश्यक होगा। सहमति नहीं दिये जाने की स्थिति में प्रशिक्षण हेतु चयन निरस्त माना जावेगा।
4. प्रशिक्षु द्वारा प्रति दिवस निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार दैनिकी संधारित किया जाना होगा।
5. प्रशिक्षण के दौरान डिग्रीधारी प्रशिक्षु को छात्रवृत्ति के रूप में रु. 9000.00 प्रतिमाह एवं डिप्लोमाधारी को रु. 8000.00 प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। उक्त राशि में से 50% की राशि विभाग द्वारा उनके खाते में प्रतिमाह दी जावेगी एवं 50% DBT के माध्यम से मुम्बई मुख्यालय द्वारा उनके खाते में दी जावेगी। इसके लिए आधार नंबर एवं बैंक खाता में DBT Enable कराया जाना अनिवार्य होगा।
6. प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुता अधिनियम के अनुसार 12 आकस्मिक अवकाश एवं 15 मेडिकल अवकाश की पात्रता रहेगी तथा समस्त शासकीय अवकाश भी मान्य रहेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त अवकाश होने पर प्रशिक्षण निरस्त किया जा सकेगा।
7. चयनित प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण संबंधित कार्यालय में ही पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
8. प्रशिक्षण अवधि में बिना कारण त्याग पत्र दिया जाना मान्य नहीं होगा, त्याग पत्र के मान्य कारण (i) गंभीर बीमारी (ii) उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश (iii) किसी विभाग में नियुक्ति होना निर्धारित है। बिना कारण प्रशिक्षण छोड़ने की स्थिति में प्रशिक्षु को 03 माह की छात्रवृत्ति की राशि जमा करनी होगी।
9. प्रशिक्षण अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर चयन निरस्त किया जा सकता है।
10. **प्रशिक्षण के पश्चात् विभाग नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं होगा।**
11. प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थाई प्रमाण पत्र मुम्बई मुख्यालय से प्राप्त होगा।



(डॉ. एम.एल.अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता


 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

P.T.O.

पृ.क. ५७९ / त.शा.-२ / F-116 / 2024-25 / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2024 अटल नगर, दिनांक ३०/०९/२५
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक निर्देशक शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल (पश्चिम क्षेत्र), ए.टी.आई. कैम्पस वी.एन. पूरव मार्ग सीओन, मुंबई 400022 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सिविल मंडल दुर्ग/रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. समस्त कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सिविल खंडकी ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित है कि, संबंधित प्रशिक्षु की उपस्थिति निर्धारित समयावधि में कराया जाना सुनिश्चित करें तथा निर्धारित समयावधि पश्चात संबंधित की उपस्थिति/अनुपस्थिति की जानकारी एवं प्रशिक्षुओं की उपस्थिति पश्चात् हर माह की 10 तारीख तक छात्रवृत्ति का 50% भुगतान करें साथ ही विभागीय वेबसाइट की निर्धारित लिंक/महत्वपूर्ण लिंक में प्रशिक्षु मॉड्यूल में जाकर प्रशिक्षुओं से संबंधित समस्त जानकारी अपडेट करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें तथा संबंधित प्रशिक्षुओं की जानकारी निर्धारित अवधि में अपडेट न करने की दशा में कार्यपालन अभियंता जिम्मेदार होंगे।
6. कार्यपालन अभियंता (MIS), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर प्रेषित कर निर्देश है, कि कृपया विभागीय वेबसाइट में चयन आदेश की कॉपी अपलोड करें।
7. श्री/श्रीमती/कुमारी.....प्रशिक्षु, ट्रेड.....डिग्री/डिप्लोमा पता:-की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है, कि अपनी उपस्थिति आदेश दिनांक से 10 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय में अपनी उपस्थिति देते हुए प्रशिक्षण प्रारंभ करें। निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने पर चयन निरस्त किया जा सकेगा। आपके द्वारा प्रति दिवस निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार दैनंदिनी संधारित किया जायेगा दैनंदिनी एवं द्विमाही प्रगति प्रतिवेदन का निर्धारित प्रपत्र संलग्न है।
8. स्थापना शाखा/लेखा शाखा, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
9. कार्यालयीन आदेश नस्ती।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार कमांक 07 के लिये।


प्रमुख अभियंता
लो.स्वा.यां.वि. विभाग
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
